



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एन, अलीगंज, लखनऊ-226004
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226004, Telefax-2326696
Email: roc.eko-met@nic.in

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०६/३३/२०२२/एफ०सी०/706

दिनांक : 31.03.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Road/118819/2021

विषय : जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर०एस० रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनैज सं०-०.०० से २०.१५० तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढीकरण से प्रभावित १४.५६०३ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक ७५८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या पी-२३/८१-२-२०२२-८००(३२५)/२०२१, दिनांक-२५.०२.२०२२.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

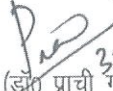
1. As per the GIS DSS and SOI toposheet, demarcation of the forest area in .kml file is undervalued. Some forest areas are demarcated as Non-Forest land, this needs rectification/clarification.
2. The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 9.0 ha., which is less than the actual required CA land area.
3. As per the proposal CA land has been proposed in Non-Forest area, but according to the SOI toposheet and DSS CA land patch falls under the Reserve Forest area, this needs rectification and clarification.
4. Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.
5. When was the existing road constructed? If after 1980 and permission was not taken under FCA, then the proposal should include the area of existing road as well.
6. It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment.
7. No objection certificate of concerned departments (Irrigation, PWD/NHA etc.) need to be submitted.
8. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan.
9. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2795 / 11-सी-FP/UP/Road/118819/2021, लखनऊ, दिनांक: मार्च 01, 2022

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।